काशी प्रसाद

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

(2003 की आपराधिक अपील संख्या 111)

जुलाई 16, 2008

[डॉ. अरिजीत पसायत, पी. सदाशिवम व डॉ मुकुंदकम शर्मा , न्यायाधिपतिगण]

दण्ड संहिता, 1860; की धारा 302 सपठित धारा 34, धारा 323 सपठित धारा 34 और धारा 300 का अपवाद 4 और धारा 304 का भाग-I

हत्या/हत्या की कोटी में न आने वाला आपराधिक मानव वध-धारा 300 भारतीय दण्ड संहिता के अपवाद 4 की प्रयोज्यता। यह माना गया है कि: घटना से पहले पक्षकारों के बीच कोई दुश्मनी नहीं थी - झगडे के दौरान, आरोपी ने मृतक पर प्रहार किया - मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, उचित दोषसिद्धि धारा 304 भारतीय दण्ड संहिता के भाग-I में होगी न कि धारा 302 सपठित धारा 34 में-कारावास की सजा को परिवर्तित कर दस साल किया गया- निर्देश जारी किये गये-

धारा 300 भारतीय दण्ड संहिता के अपवाद 2 और 4- के मध्य अंतर

शब्द और वाक्यांश:

'अचानक लडाई' और 'अनुचित लाभ'- का अर्थ

अभियोजन पक्ष के अनुसार, दुर्भाग्यपूर्ण दिन पर, जब प्रथम सूचना कर्ता अपने परिजनों के साथ खेत की जुताई के बाद घर लौट रहा था, उसके बैल आरोपी, जो अपीलार्थी है, के खेत में भटक गये और उसके खेत को नुकसान पहुचा दिया। अपीलार्थी ने पीडब्ल्यू 1 और उसके पिता को गालियां दीं। जब पीडब्ल्यू 1 ने आरोपी-अपीलार्थी से

उन्हें गाली देना बंद करने के लिए कहा तो आरोपी और उसके साथी ने उस पर बरछी से प्रहार किया। बचाव में, पीडब्ल्यू 1 ने भी आरोपीगण पर हमला किया जिसके परिणामस्वरूप उन्हें भी चोटें आई। पीडब्ल्यू 1 ने अपने घायल पिता को बैलगाडी में बैठा दिया जिसने पुलिस स्टेशन जाते समय रास्ते में आखिरी सांस ली। पीडब्ल्यू 1 द्वारा आरोपी व्यक्तियों के विरूद एक एफआईआर दर्ज करवाई गई। पुलिस द्वारा अनुसंधान किया गया और अनुसंधान पूर्ण कर आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय ने आरोपी को धारा 302 सपठित धारा 34 तथा धारा 323 सपठित धारा 34 भा.द.सं. के तहत दण्डनीय अपराध कारित करने का दोषी पाया। दोषियों द्वारा इसके खिलाफ दायर की गई अपील को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। इसलिए वर्तमान अपील।

आरोपी-अपीलार्थी ने तर्क दिया कि यदि अभियोजन पक्ष के संस्करण को पूर्णत स्वीकार किया जाता है तो भी अपीलार्थी को भा.द.सं. की धारा 302 के तहत अपराध के लिए दोषसिद्ध नहीं ठहराया जा सकता है। अचानक हुए झगडे के दौरान मात्र एक प्रहार किया गया था इसलिए धारा 300 भा.द.सं. का अपवाद 4 लागू होता है।

न्यायालय ने, अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए यह अभिनिर्धारित किया:

1.1 बरसात के मौसम के कारण खेत में कीचड हो गया था जिसके परिणामस्वरूप सूचनाकर्ता के चार बैल अभियुक्त के सटे हुए खेत में घुस गये। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से पता चलता है कि प्रश्नगत घटना से पूर्व पक्षों के बीच कोई मनमुटाव या दुश्मनी नहीं थी। अपीलार्थी और उसके पिता अतिसंवेदनशील हो गये और आहत महसूस किया और उसके बाद झगडा शुरू हो गया और झगडे के दौरान अपीलार्थी ने एक प्रहार किया। [1096 जी-एच, 1097 ए]

1.2 एकमात्र प्रश्न धारा 300 भा.द.सं. के अपवाद 4 की प्रयोज्यता है। इसे क्रियान्वित करने के लिए यह स्थापित करना होगा कि यह कार्य बिना किसी पूर्व चिन्तन के, आवेश में आकर अचानक झगडे में, अपराधी द्वारा बिना कोई अनुचित लाभ उठाये और बिना क्रूर कार्य अथवा असामान्य तरीके से कार्य किये बिना किया गया है। (पैरा-7 व 8) [1097 ए-बी]

1.3 भा.द.सं. की धारा 300 के चौथे अपवाद में अचानक लडाई में किये गये कार्य शामिल है। उक्त अपवाद अभियोजन के एक ऐसे मामले से संबंधित है जो पहले अपवाद के दायरे में नहीं आता है, जिसके बाद इस अपवाद का स्थान अधिक उपयुक्त होता। यह अपवाद भी उसी सिद्धांत पर आधारित है क्योंकि दोनों में पूर्व चिन्तन का अभाव है लेकिन, जबकि अपवाद 1 के मामले में आत्मनियंत्रण का पूरी तरह से अभाव है, अपवाद 4 के मामले में केवल आवेश की वह तीव्रता है जो व्यक्ति के शांत बुद्धि को प्रभावित करती है और उन्हें ऐसे कार्यों के लिए प्रेरित करती है जो वे अन्यथा नहीं करता। अपवाद 1 की तरह अपवाद 4 में भी उकसावे की स्थित है लेकिन जो चोट पहुंचाई गई है वह उस उकसावे का प्रत्यक्ष परिणाम नहीं है। (पैरा-9) [1097 सी-ई]

1.4 एक 'अचानक लडाई' का अर्थ आपसी उकसावा और दोनों तरफ से मारपीट से है। ऐसे में किया गया मानव वध स्पष्ट रूप से एक तरफा उकसावे के कारण नहीं किया जा सकता है और न ही इस तरह के मुकदमों में पूरा दोष एक पक्ष पर लगाया जा सकता है। यदि ऐसा होता तो धारा 300 का अपवाद 1 अधिक उचित रूप से लागू होता। (पैरा-9) [1097-एफ]

1.5 अपवाद 4 के क्रियान्वयन के लिये यह दर्शित करना पर्याप्त नहीं है कि अचानक झगडा हुआ था और कोई पूर्व चिन्तन नहीं था। आगे भी यह दर्शित करना होगा कि अपराधी ने न तो अनुचित लाभ उठाया है और न ही क्रूरता अथवा असामान्य

तरीके से कार्य किया है। अभिव्यक्ति 'अनुचित लाभ' जैसा कि प्रावधान में उपयोग किया गया है, का अर्थ है 'अन्यायपूर्ण लाभ'। (पैरा-9) [1098 डी-ई]

2. वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित दोषसिद्धि भा.द.सं. की धारा 304 भाग 1 के तहत होगी और दस साल के कारावास की सजा न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति करेगी। (पैरा-10) [1098 एफ]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2003 की आपराधिक अपील संख्या 111

1981 की आपराधिक अपील संख्या 293 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 26-07-2001 से

अजय भल्ला, अभिनव जैन, सुनीता रानी सिंह और आभा आर. शर्मा अपीलार्थी की ओर से।

अनिल के. झा और विजय प्रताप सिंह प्रत्यर्थी की ओर से।

न्यायालय का निर्णय प्रदत्त किया गया द्वारा-

डॉ. अरिजीत पसायत, न्यायाधिपति

1. इस अपील में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खण्डपीठ के निर्णय को चुनौती दी गई। जिसमें अपीलार्थी को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (संक्षेप में 'भा.द.सं') की धारा 302 सपठित धारा 34 एवं धारा 323 सपठित धारा 34 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध का दोषी ठहराया गया था।

2. अपीलार्थी और उसके पिता बल्दू ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की थी जिसमें 1980 के सत्र परीक्षण संख्या 287 में विद्वान सत्र न्यायाधीश, हमीरपुर द्वारा की गई दोषसिद्धि और सजा की सत्यता पर सवाल उठाया गया था। अपीलार्थी

के पिता बल्दू की उच्च न्यायालय के समक्ष अपील लंबित रहने के दौरान मृत्यु हो गई और इसलिए उसके संबंध में अपील समाप्त हो चुकी है।

3. विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष का संस्करण मूलत इस प्रकार प्रकट हुआ है-

कालीचरण, प्रथम सूचनाकर्ता (पीडब्ल्यू 1), उसके पिता लच्छीराम (इसके बाद 'मृतक' के रूप में जाना जायेगा) और उसकी मां श्रीमती राम कुंवर दिनांक 28 जुलाई, 1980 को अपने बैलों के साथ चन्द्रभान की जमीन जोतने के बाद गांव के उस रास्ते से लौट रहे थे जो स्थल नक्शे में दिखाये अनुसार पश्चिम से पूर्वी दिशा की ओर जा रहा था। मसगांव निवासी पण्डित लक्ष्मण प्रसाद की जमीन गांव के रास्ते के उत्तरी तरफ है। यह जमीन आरोपियों के पास फसल बटाई के आधार पर थी। गांव के रास्ते में कीचड होने से प्रथम सूचनाकर्ता कालीचरण के बैल भटककर आरोपी काशीप्रसाद के खेत में घुस गये। खेत में बैलों द्वारा किये गये नुकसान से आरोपीगण उत्तेजित हो गये और उन्होंने कालीचरण और उसके पिता लच्छीराम के साथ गाली-गलौच की। लच्छीराम द्वारा इस पर आपत्ति जताई और गाली देने से स्वयं को रोकने को कहा तो आरोपी काशीप्रसाद ने मृतक लच्छीराम पर बरछी से वार कर दिया। लच्छीराम जमीन पर गिर पडा। बल्दू ने मृतक पर लाठी से हमला कर दिया। कालीचरण को भी लाठी से चोटें आईं। कालीचरण जिसके पास खौलिया था, ने अपने पिता के बचाव में उसका प्रयोग किया, जिससे आरोपी काशीप्रसाद तथा बल्दू को चोटें आईं। आवश्यक व्यवस्था करने के बाद लच्छीराम को बैलगाडी में बिठाया गया लेकिन थाना खरैला के रास्ते में उसने अंतिम सांस ली। शव को पुलिस थाने ले जाया गया जहां कालीचरण द्वारा लिखित प्रथम सूचना रिपोर्ट एक्सएच. का- 2 दर्ज कराई गई। अनुसंधान प्रारंभ किया गया। शव परीक्षण करने वाले शल्य चिकित्सक डॉ जी एस पाण्डे (पीडब्ल्यू 5) ने मृतक लच्छी राम के शरीर पर मृत्यु से पूर्व की निम्निलखित चोटे पाई-

1॰ पेट के सामने 1 सेमी x 1 सेमी एम्बिलिकस से 4 सेमी स्तर पर एवं दाहिनी ओर चाकू का घाव। जो त्वचा, मांसपेशियां, पेरिटोनियम, बडी आंत के छोरों को छेदता हुआ और अंत में, गुर्दे के दाहिने हिस्से में प्रवेश करता है, जो टुकडों में हुआ है। पेरिटोनियल गुहा में प्रचुर मात्रा में रक्त और रक्त का थक्का दर्शित होता है बडी आंत में अंतर्वस्तु गुहा में एकत्रित रक्त में मिश्रित है।

2. दाहिनी भुजा में पोस्टेरो लेटरल पहलू में 7 सेमी x 2 सेमी का संलयन अंतर्निहित रेडियो अल्ना निचले 1/3 रे हिस्से पर फ्रैक्चर हुआ।

3॰ दाहिनी पार्श्विका प्रमुखता दिशा में आगे से पीछे की ओर 5 सेमी x 1 सेमी x हड्डी तक गहरा घाव।

4. माथे के दाहिनी ओर उपरी सीमा पर आगे से पीछे की दिशा में 5 सेमी x 1= सेमी का संलयन।

5. 7 वीं से 10 वीं आईसीएस में पूर्वकाल सहायक रेखा में वक्षीय क्षेत्र में छाती के दाहिनी ओर 6 = सेमी x 4 सेमी का घिसा हुआ घाव।

6. पार्श्व पहलू में एक्रोमियन प्रक्रिया में बाएं कंधे के जोड में संलयन 4 = सेमी x 2 सेमी।

कालीचरण के शरीर की डॉ. एम वाई कुरैशी (पीडब्लयू 2) द्वारा दिनांक 29-07-1980 को चिकित्सकीय जांच की गई जिसमें 9 चोटे पाई गई।

1. सिर के बाईं ओर कान से 7 सेमी उपर का 2 सेमी x ½ सेमी का घाव।

2. दाहिनी भुजा के उपरी आधे भाग के बाहर की ओर 6 सेमी x 2 सेमी का घर्षण।

3. दाहिनी जांघ के उपर 7 सेमी x 3 सेमी सूजन।

4. दाहिनी भुजा के उपरी आधे भाग पर घर्षण 5.5 सेमी x 2 सेमी।

5. स्कंधास्थि के ठीक उपर 5 सेमी x 3 सेमी का कटा हुआ संलयन।

6. बाईं तर्जनी की पृष्ठीय सतह पर 7 सेमी x 2 सेमी की सूजन।

7. बाएं अंगूठे के डिस्टल फालैंगल जॉइंट डोरसम के उपर 2 सेमी x1 सेमी सूजन।

8. घिसा हुआ संलयन 5 सेमी x 2 सेमी, बाएं दाएं निपल से 2 सेमी बाहर की ओर।

9. बायीं भुजा के आधे हिस्से पर 5 सेमी x 2 सेमी का कटा हुआ घाव।

अभिरक्षा में लिये गये आरोपीगण काशीप्रसाद और बल्दू का डॉ एस एन दिक्षित (डीडब्ल्यू 1) सहायक चिकित्साधिकारी, जिला कारागृह, हमीरपुर द्वारा चिकित्सकीय परीक्षण किया गया। काशीप्रसाद को निम्नलिखित दो चोटें आईं-

1. बाई कलाई के जोड के रेडियल पहलू पर 3 सेमी x 1 सेमी का संलयन।

2. बायीं भुजा के मध्य भाग पर 2 सेमी x1 सेमी का घाव।

बल्दू को निम्नलिखित तीन चोटें आईं।

1. बाईं कलाई के जोड से 3 सेमी उपर बायीं भुजा पर ½ सेमी x ½ सेमी पट्टी बंधा हड्डी पर घाव।

2. घाव का घाव ½ सेमी x ½ = सेमी x बाएं हाथ के पृष्ठ भाग पर गहरी मांसपेशी 2 सेमी मेडिकल से बाएं अंगूठे तक का घाव।

3. बाएं हाथ की तर्जनी के आधार पर 2 सेमी x1 सेमी x मांसपेशी में गहरा घाव।

काशीप्रसाद और बल्दू को लगी चोटें साधारण प्रकृति की थी जो किसी कुंद वस्तु से लगी थी। विचारण के दौरान कालीचरण (पीडब्ल्यू 1), झल्ली (पीडब्ल्यू 3) और सुखलाल (पीडब्लयू 4) अन्य औपचारिक गवाहों के अतिरिक्त चश्मदीद गवाह के रूप में परीक्षित हुए।

आरोपी व्यक्तियों ने आत्मरक्षा की दलील दी। कालीप्रसाद के अनुसार कालीचरण और मृतक लच्छीराम ने जानबूझकर अपने बैलों को आरोपियों के खेत में छोड दिया था और उसके हस्तक्षेप पर लच्छीराम और कालीचरण ने उन्हें गालियां देना और धमकाना शुरू कर दिया। उसने आगे कहा कि कालीचरण ने उसे पकड लिया और जब वह खुद को कालीचरण के चंगुल से छुडाने में कामयाब हुआ तो मृतक ने उस पर लाठियों से हमला करना शुरू कर दिया और कालीचरण खौलियों से लेस होकर उस पर टूट पडा और उसके बाद उसके पिता बल्दू उसे बचाने दौडे। उसके बाद कालीचरण ने खौलिया के साथ बल्दू पर हमला करना शुरू कर दिया। काशीप्रसाद ने आगे कहा कि उसने अपने और अपने पिता बल्दू के बचाव के लिये बरछी का इस्तेमाल किया। उसे और बल्दू दोनों को चोटें आईं और जिला कारागृह, हमीरपुर में उनकी चिकित्सकीय जांच की गई। अभियुक्त बल्दू द्वारा भी समान दलीले दी गईं। अभियुक्त महाप्रसाद द्वारा मौके पर अनुपस्थित होने की दलील दी गई। विचारण न्यायालय द्वारा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन करने के बाद यह निष्कर्ष दिया गया कि अभियुक्तगण द्वारा उठाई गई आत्मरक्षा की दलीलें सही नहीं हैं और यह हत्या का मामला है। अभियुक्तगण द्वारा सूचनाकर्ता को चोटें भी पहुंचाई गई हैं। उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थियों की याचिका में कोई सार नहीं पाया गया और अपील खारिज कर दी गई।

4. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि यदि अभियोजन के संस्करण को पूर्णतया स्वीकार भी कर लिया जाये तो अपीलार्थी को धारा 302 भा.द.सं. के अपराध के अंतर्गत दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है। अचानक हुए

झगडे के दौरान मात्र एक प्रहार किया गया था इसलिए धारा 300 का अपवाद 4 लागू होता है।

5. दूसरी ओर प्रत्यर्थी-राज्य की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा विचारण न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के निर्णयों का समर्थन किया गया।

6. यह प्रकट होता है कि सूचनाकर्ता कालीचरण के बैल भटककर चन्द्रभान के खेत में चले गये थे। बरसात का मौसम होने के कारण खेत में कीचड होने के परिणामस्वरूप सूचनाकर्ता के चार बैल अभियुक्त के पास ही स्थित खेत में घुस गये। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य यह दर्शित करती है कि संबंधित घटना से पूर्व पक्षों के मध्य न तो कोई मनमुटाव और न ही कोई दुश्मनी थी। अपीलार्थी और उसके पिता बल्दू अत्यधिक संवेदनशील हो गये और आहत महसूस करने लगे। और झगड़े के दौरान अपीलकर्ता ने एक प्रहार किया।

7. एकमात्र प्रश्न भा.द.सं. की धारा 300 के अपवाद 4 की प्रयोज्यता है।

8. इसे क्रियान्वित करने के लिए यह स्थापित करना होगा कि यह कृत्य बिना किसी पूर्वचिन्तन के, जोश में आकर अचानक हुई लड़ाई में अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना और क्रूर या असामान्य तरीके से कार्य किए बिना किया गया था।

9. धारा 300 का चौथा अपवाद अचानक हुए झगड़े में किया गया कृत्य भा.दं.सं. के अंतर्गत आता है। उक्त अपवाद अभियोजन के एक ऐसे मामले में संबंधित है जो पहले अपवाद के दायरे में नहीं आता, जिसके बाद इस अपवाद का स्थान अधिक उपयुक्त होता। अपवाद समान सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि दोनों में ही पूर्वचिन्तन का अभाव है। लेकिन, जबकि अपवाद 1 के मामले में आत्म-नियंत्रण का पूर्ण अभाव है, अपवाद 4 के मामले में, केवल आवेश की वह तीव्रता है जो व्यक्ति के शांत स्वभाव को ढक देती है और उसे ऐसे कार्यों के लिए प्रेरित करती है जो वे अन्यथा नहीं करता।

अपवाद 1 की तरह अपवाद 4 में भी उकसावे की स्थिति है; लेकिन जो चोट पहुंचाई गई है वह उस उकसावे का प्रत्यक्ष परिणाम नहीं है। वास्तव में अपवाद 4 उन मामलों से संबंधित है जिनमें चाहे कोई प्रहार किया गया हो, या विवाद के प्रारंभ में कोई उकसावा दिया गया हो या किसी भी कारण से झगड़ा प्रारंभ हुआ हो, इसके होते हुए भी उभयपक्ष के पश्चात्वर्ती आचरण उन्हें अपराध के संबंध में समान स्तर पर रखते है। 'अचानक लड़ाई' का तात्पर्य आपसी उकसावे और दोनों तरफ की मारपीट से है। ऐसी स्थिति में किया गया मानव वध स्पष्ट रूप से एक तरफा उकसावे के कारण नहीं होता है, न ही ऐसे मामलों में पूरा दोष एक पक्ष को दिया जा सकता है। यदि ऐसा होता तो जो अपवाद अधिक उपयुक्त रूप से लागू होता वह अपवाद एक होता। प्रकरण में लड़ने हेतु कोई पूर्व विचारविमर्श या दृढ़निश्चय नहीं है। अचानक एक लड़ाई हो जाती है, जिसके लिए कमोबेश दोनों पक्ष दोषी है। यह हो सकता है कि उनमें से किसी एक ने इसे प्रारंभ किया हो, परंतु यदि दूसरे पक्ष की ओर से अपने आचरण द्वारा इसे बढ़ाया नहीं जाता तो यह इतना गंभीर रूप नहीं लेता। यहां आपसी उकसावे और उतेजना के कारण यह मुश्किल है कि किस पक्षकार को कितना दोष दिया जाए। अपवाद 4 को तब लागू किया जा सकता है जब मृत्यु (क) बिना किसी चिंतन के, (ख) अचानक लड़ाई में, (ग) अपराधी द्वारा बिना अनुचित लाभ उठाए या क्रूर अथवा असामान्य तरीके से कार्य किए और (घ) लड़ाई मृतक के साथ हुई है। किसी मामले को अपवाद 4 के अंतर्गत लाने हेतु उसमें उल्लेखित सभी आवश्यक सामग्री होनी चाहिए। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि भा.दं.सं. की धारा 300 के अपवाद 4 में प्रयुक्त शब्द 'लड़ाई' को भा.दं.सं. में परिभाषित नहीं किया गया है। लड़ाई करने हेतु दो लोगों की आवश्यकता होती है, आवेश की तीव्रता के लिए जरूरी है कि आवेश को ठंडा होने का समय ना मिले और इस मामले में, पक्षकारों ने शुरूआत में मौखिक विवाद के कारण खुद को क्रोधित कर लिया। लड़ाई दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होती है, चाहे हथियारों के साथ हो

या उनके बिना। इस संबंध में सामान्य नियम प्रतिपादित करना संभव नहीं है कि अचानक होने वाला  झगड़ा किसे माना जाएगा। यह प्रश्न तथ्य का है और लड़ाई अचानक है या नहीं आवश्यक रूप से प्रत्येक मामले के साबित तथ्यों के उपर निर्भर होना चाहिए। अपवाद 4 के क्रियान्वयन हेतु यह दर्शित करना पर्याप्त नहीं है कि अचानक झगड़ा हुआ और कोई पूर्व चिंतन नहीं था। यह भी दर्शित किया जाना चाहिए कि अपराधी द्वारा कोई अनुचित लाभ नहीं उठाया गया है और ना ही उसके द्वारा क्रूर अथवा असामान्य तरीके से कार्य किया गया है। अभिव्यक्ति 'अनुचित लाभ' जैसा कि प्रावधान में प्रयोग में लिया गया है, का तात्पर्य 'अन्यायपूर्ण लाभ' से है।

10. अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक परिदृश्य को दृष्टिगत रखते हुए, उचित दोषसिद्धि भा.दं.सं. की धारा 304 भाग 1 के अन्तर्गत होगी। 10 वर्ष के कारावास की सजा न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति करेगा।

11. उक्त सीमा तक अपील स्वीकार की जाती है।

अपील आंशिक रूप से स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी विकास चौधरी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

**अस्वीकरण**: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।